[2014] 14 एस. सी. आर. 364

वरुण सैनी और अन्य

बनाम

गुरु गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

(लिखित याचिका (सिविल) संख्या 853/2014)

16 अक्टूबर, 2014

[दीपक मिश्रा और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987- तकनीकी पाठ्यक्रम- विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा परामर्श और प्रवेश- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन से संबंधित अनुसूची का पालन- कटऑफ तिथि के बाद परामर्श (पूरक परामर्श) का एक नया दौर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना- सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती दी गई- बाद में अधिसूचना वापस ले ली गई- इसके बाद, समय सारिणी के विस्तार की मांग करने वाली रिट याचिका दायर की गई जो परामर्श के एक और दौर के संचालन को जन्म देगी- आयोजितःमामले के तथ्यों और मांगी गई राहत में व्यापक जनहित के पैमाने पर इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत समाधान को स्वीकार किया गया क्योंकि यह न्यायाधीश के उद्देश्य को कम करेगा- परामर्श और प्रवेश के संबंध में जारी किए गए कुछ निर्देश।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 इस मुद्दे को तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने में व्यापक सार्वजनिक हित के पैमाने पर, विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई राहत और प्रस्तावित प्रशंसनीय समाधान को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायाधीश के उद्देश्य को कम करेगा। इन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय गति बनाए रख सकता है। यदि ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय अधिक सावधान, सतर्क और चौकस होते तो राष्ट्रीय अपशिष्ट को आमंत्रित करने वाली ऐसी दर्दनाक स्थिति से बचा जा सकता था। हालांकि, पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए, व्यापक जनहित में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और अंततः न्यायाधीश के उद्देश्य को पूरा करते हैं। [पैरा 24,25,26] [388- एफ- जी; 389- बी, डी]

1.2 यह प्रस्तुत किया गया था कि समस्या हर साल होती है, क्योंकि परामर्श के लिए दिन तय होने के बावजूद, पर्याप्त संख्या में छात्रों को परामर्श के लिए नहीं बुलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, सीईटी उत्तीर्ण करने वाले कई छात्रों को परामर्श लेने का अवसर नहीं मिलता है और अंततः प्रवेश नहीं होता है। यह विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र में है। लेकिन जब समस्या बार- बार होती है, तो विश्वविद्यालय को अनुसूची के भीतर इस तरह से परामर्श आयोजित करने के लिए कहा जाता है ताकि यदि इस तरह की परामर्श के लिए योग्य उम्मीदवार हैं तो सभी सीटें भर दी जाएं। विश्वविद्यालय राष्ट्र के लिए एक विदेशी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है।

यह बताना अनिवार्य है कि इस तरह की तीखी और दर्दनाक स्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय द्वारा एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, यह एक स्वस्थ स्थिति का संकेत नहीं देता है। यदि ए. आई. सी. टी. ई. ने प्रक्रिया के संबंध में समय सीमा के भीतर काम किया होता तो मामला ऐसी स्थिति को जन्म नहीं देता। इसी तरह, यदि विश्वविद्यालय अनुमोदित संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या और सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक

जिम्मेदारी के साथ परामर्श आयोजित करता, तो संभवतः समस्या की गंभीरता कम होती। [पैरा 27] [389- डी- जी; 390- बी- डी]

1.3 सुशासन की स्थिति में, एक समस्या पर ध्यान दें जाता है ताकि किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उचित और समय पर कदम उठाए जा सकें। अनुमोदन देने, पाठ्यक्रम तैयार करने, शिक्षा प्रदान करने और ऐसी अन्य गतिविधियों को चलाने के प्रभारी अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना आवश्यक है। चिन्ता की कमी केवल विनाश की शुरुआत का संकेत है। ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय को यह देखने के लिए आगाह किया जाता है कि चीजें अनुसूची अनुसूची का पालन करते हुए समय पर की जाएं। ऑनलाइन परामर्श के लिए समय 21 अक्टूबर, 2014 तक बढ़ा दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले ही कॉलेजों में प्रवेश ले लिया है, उन्हें पूरक परामर्श में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो छात्र परामर्श के बिना किसी भी संस्थान में कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया माना जाएगा और इसलिए वे ऑनलाइन परामर्श में भाग लेने के पात्र होंगे। जिन छात्रों का चयन प्रवेश के लिए किया जाता है और योग्यता के आधार पर संबंधित कॉलेजों को आवंटित किया जाता है, वे तुरंत प्रवेश लेंगे। किसी विशेष महाविद्यालय में आवंटित किए जाने के बाद छात्रों को एक अलग खंड में रखा जाएगा क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कार्यशील कक्षाओं में भाग लेना होगा। शैक्षणिक संस्थानों को गंभीरता से शिक्षकों की सहायता और सहायता से शिक्षा प्रदान करनी होगी, यदि आवश्यक हो, तो शिक्षकों के लिए पर्याप्त साधन और सुविधा प्रदान करके। विश्वविद्यालय यह देखने के लिए एक दल का गठन करेगा कि कक्षाएं आयोजित की जाती हैं या नहीं। जब तक किसी छात्र को आयोजित गणना के आधार पर 75 प्रतिशत की अपेक्षित उपस्थिति नहीं मिलती है, तब तक उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्श्वनाथ पूर्त न्यास मामले में मूल रूप से अनुसूची अनुसूची लागू रहेगी और बाद के

वर्षों में इसका धार्मिक रूप से पालन किया जाएगाः[पैरा 28,29] [390- ई- जी; 391- बी- एच]

पार्श्वनाथ पूर्त न्यास बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 2012 (11) एससीआर 1057:(2013) 3 एस. सी. सी. 385; निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन संघ बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 271; भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 2001 (3) पूरक। एससीआर 253:(2001/8 धारा 676; टी. एम. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 (3) पूरक। एससीआर 587:(2002) 8 एस. सी. सी. 481 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भः

2012 (11) एस. सी. आर. 1057 पैरा 3 में निर्दिष्ट है।

(2013) 8 धारा 211 पैरा 7 को संदर्भित करती है।

2001 (3) पूरक एस. सी. आर. 253 पैरा 7 में निर्दिष्ट।

2002 (3) पूरक एस. सी. आर. 587 पैरा 7 में निर्दिष्ट।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका (सिविल) संख्या 853/2014

के साथ

लेखन याचिका (सी) 2014 की सं. 854,855,857,883,867,884

ए. जी., सीए सुंदरम, जी. ओ. आई. जैन, अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रवि सीकरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।

रविकीश के. सिन्हा, राकेश सिन्हा, अभिजात पी. मेध, मोहित चड्ढा, अनिल कुमार तांडले, सान जय शरावत, रतीश कुमार, एम. एम. एस. अत्री, दिव्या रॉय, वैभव कालरा, सुश्री सुमेधा डांग, सुश्री महिमा गुप्ता, अनीश चावला, सुश्री रंजीता रोहतगी, अमितेश कुमार, सुश्री एन. अन्नपूर्णी, उनके साथ उपस्थित पार्टियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होती है। औपचारिक शिक्षा का अपना महत्व है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को सीखने के संबंध में व्यवस्थित रूप से प्रदान करने और आगे व्यक्तिगत प्रयास द्वारा खेती के लिए जगह देने पर निर्भर करता है। औपचारिक शिक्षा की पवित्रता तकनीकी अध्ययन के क्षेत्र में अधिक महत्व प्राप्त करती है क्योंकि इस क्षेत्र में सिद्धांत, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुप्रयोग एक छात्र को देश की संपत्ति बनाने के लिए संचयी रूप से काम करते हैं और एक तरह से उसे संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। स्वाभाविक परिणाम, अंतिम रूप से, राष्ट्र के विकास का त्वरण है। लेकिन, एक गर्भवती महिला, जब वैधानिक अधिकारियों की उदासीनता या अभावपूर्ण प्रवृत्ति या विलंब की प्रवृत्ति का रवैया बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों की मंजूरी और पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए अनुसूची- सारणी का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि अंधेरा हावी हो जाता है जैसे कि "चीजें टूट जाती हैं"। एक असुविधाजनक भावना है- भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दर्दनाक समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के साथ- साथ युवा छात्रों की आकांक्षाओं को कम करने या उनकी आशाओं को यह कहते हुए कम करने के लिए कि डेनमार्क राज्य में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है और एक सिसिफियन प्रयास नहीं होना चाहिए, ऐसा करने के कुछ ठोस कारण हैं। हम इस तरह की प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने के लिए विवश

हैं क्योंकि रिट याचिकाओं का वर्तमान बैच पाठ्यक्रमों की कुछ श्रेणियों में परामर्श और प्रवेश से संबंधित है जो कई स्पेक्ट्रम से अनुमोदित और नियंत्रित हैं, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षिप्तता के लिए, "ए. आई. सी. टी. ई".) द्वारा शिक्षा में मानक को बनाए रखने के लिए हैं, और पाठ्यक्रमों की कुछ श्रेणियां जो सीधे विश्वविद्यालय के कानूनों और विनियमों द्वारा शासित हैं, अर्थात् गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जिसे इसके बाद "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) तकनीकी पाठ्यक्रमों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अनुसूची अनुसूची के विस्तार की पृष्ठभूमि में।

2. मामलों के इस समूह में शामिल विवाद का एक अतीत है, जिसे कालक्रम के लिए आवश्यक सम्मान के साथ उजागर करने की आवश्यकता है। हम शुरुआत में ही संकेत दे चुके हैं कि इन सभी मामलों में, हम ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा परामर्श और प्रवेश से संबंधित अनुसूची के पालन से चिंतित हैं। केंद्रीय मुद्दा होने के कारण, हमारा विज्ञापन उक्त क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। इस मोड़ पर, हम कह सकते हैं कि उचित स्तर पर, हम डब्ल्यू पी (सी) सं. 853/2014 से कुछ आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

3. हम यह समझने के लिए एक टाइम मशीन में बैठने के लिए बाध्य हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षिप्तता के लिए, 1987 अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत एआईसीटीई द्वारा अनुसूची कैसे तय की गई थी और इस अदालत द्वारा पार्श्वनाथ पूर्त न्यास बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में उक्त अनुसूची को कैसे फिर से तय किया गया था। उक्त निर्णय में, 1987 के अधिनियम की शरीर रचना की जांच करने वाली दो- न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"17. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम') के प्रावधानों का उद्देश्य पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत विभिन्न प्राधिकरणों को उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यह राष्ट्रीय महत्व की किसी भी परियोजना के लिए उचित संबंध का मूल्यांकन, सामंजस्य और सुरक्षित करने के लिए दी गई एक सामान्य शक्ति है। उचित मानक के साथ उच्च शिक्षा में इस तरह की समन्वित कार्रवाई 1 (2013) 3 एस. सी. सी. 385 राष्ट्रीय प्रगति के लिए सर्वोपरि है।

18. ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधान, इसकी प्रस्तावना सहित, यह स्पष्ट करते हैं कि ए. आई. सी. टी. ई. को पूरे देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने का आदेश दिया गया है। ए. आई. सी. टी. ई. को तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के उचित रखरखाव को विनियमित और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ए. आई. सी. टी. ई. तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उनकी जवाबदेही को लागू करने में मानदंडों और तंत्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना है। छात्रों के प्रवेश के लिए दिशा- निर्देश प्रदान करना आवश्यक है और ऐसे तकनीकी संस्थानों को अनुदान रोकने या बंद करने की शक्ति है जहां

उसके द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों और समय- समय पर उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। ए. आई. सी. टी. ई. पर दिए गए कर्तव्य और जिम्मेदारी का तात्पर्य है कि निर्धारित किए जाने वाले मानदंड और मानक ऐसे होने चाहिए जो देश में शिक्षा के अलग- थलग विकास को रोक सकें।

19. ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की खंड 10 ए. आई. सी. टी. ई. की विभिन्न शक्तियों और कार्यों के साथ- साथ इसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाने के लिए इसके कर्तव्यों और दायित्वों को भी सूचीबद्ध करती है। खंड 10 (के) में परिकल्पित ऐसी एक शक्ति है -

"नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

यह देखना महत्वपूर्ण है कि ए. आई. सी. टी. ई. को बिना किसी आरक्षण के खंड 10 के खंड (पी) में किसी भी तकनीकी संस्थान का निरीक्षण करने या निरीक्षण कराने का अधिकार है। हालाँकि, जब विश्वविद्यालयों के सवाल की बात आती है, तो यह शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान की वित्तीय आवश्यकताओं या इसके मानकों को निर्धारित करने तक सीमित और सीमित है। निरीक्षण केवल किसी भी विभाग या विभाग से किया जा सकता है या किया जा सकता है और वह भी उस तरीके से, जैसा कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की खंड 11 में परिकल्पित है।

20. इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से पता चलता है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के तहत बनाई गई परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) का उद्देश्य विश्वविद्यालयों से श्रेष्ठ या पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने वाला प्राधिकरण बनना नहीं है और इस तरह ऐसे विश्वविद्यालयों पर खुद को केवल इस कारण से अधिरोपित करना है कि वे अपने किसी भी विभाग या इकाई में तकनीकी शिक्षा या कार्यक्रमों में शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रावधानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने से पता चलेगा कि विश्वविद्यालयों की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका केवल सलाहकार, अनुशंसा करने वाली और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है, जिससे उचित मानकों और गुणात्मक मानदंडों को बनाए रखने के उद्देश्य को कम किया जा सकता है, न कि किसी भी प्रतिबंध को जारी करने और लागू करने के लिए सशक्त प्राधिकरण के रूप में। आदर्श शिक्षा महाविद्यालय बनाम सुभाष रहांगदले [(2012) 2 एस. सी. सी. 425], तमिलनाडु राज्य बनाम अधियामन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान [(1995) 4 एस. सी. सी. 104] और भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [(2001) 8 एस. सी. सी. 676] के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।"

4. न्यायालय ने विभिन्न अन्य पहलुओं का उल्लेख किया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए मंजूरी, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरुआत और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों के सेवन की क्षमता

की मंजूरी) विनियम, 1994 को सूचित किया और उक्त विनियमों की अनुसूची का उल्लेख किया जो निम्नानुसार हैः-

आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि जिसके द्वारा प्रक्रिया की जाती है	पूरा किया जाना चाहिए
1. ब्यूरो द्वारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए आरसी	31 दिसंबर
2. ब्यूरो आर. सी. को जांच करने के लिए आवेदन और (ए) वापस करने के लिए अधूरे आवेदन आवेदक, और (बी) आगे बढ़ाने के लिए (i) राज्य के लिए आवेदन संबंधित सरकार (ii) विश्वविद्यालय या राज्य बोर्ड चिन्तित, उनकी टिप्पणियों के लिए (iii) क्षेत्रीय अधिकारी व्यवस्था करेंगे। विशेषज्ञ समितियों का दौरा और (iv) ब्यूरो एम. पी. सी. डी., बी. ओ. एस. और आर. ए. उनकी टिप्पणियों के लिए।	
3. टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 15 मार्च (I) राज्य सरकार (ii) से विश्वविद्यालय या राज्य बोर्ड, और (iii) क्षेत्रीय समिति विशेषज्ञ समिति के अनुसार रिपोर्ट, और (iv) ब्यूरो से एमपीसीडी, बी. ओ. एस. और आर. ए.	15 मार्च
4. विचार के लिए राज्य की टिप्पणियाँ सरकारें, विश्वविद्यालय या राज्य बोर्ड, क्षेत्रीय समितियाँ और ब्यूरो राज्य स्तर पर परिषद समिति	31 मार्च
5. सिफारिशों के लिए केंद्रीय कार्य द्वारा किया गया	15 अप्रैल

बल	
6. अंतिम बात करने के लिए राज्य सरकार को निर्णय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सूचना के तहत क्षेत्रीय कार्यालय को, तकनीकी शिक्षा निदेशक, आवेदक, विश्वविद्यालय या राज्यबोर्ड	30 अप्रैल

5. अनुसूची को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इसका पालन करना अनिवार्य है और निर्देशिका का नहीं, क्योंकि अनुसूची का पालन न करने के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह न केवल कॉलेज के छात्रों के हित को खतरे में डाल सकता है, बल्कि तकनीकी शिक्षा के उचित मानकों के रखरखाव को भी खतरे में डाल सकता है। इसने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों, विशेष रूप से ए. आई. सी. टी. ई. को उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर उचित और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और उसे एक उचित समय अवधि के भीतर आवेदक को जवाब देना चाहिए और सभी हितधारकों द्वारा टालने योग्य विशिष्टताओं को जन्म देते हुए मामले को अंतिम तिथि तक खींचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने इस अधिनियम पर भी ध्यान दें कि विनियमन 8 (15) के तहत जारी अनुसूची और पुस्तिका में परिलक्षित कर्तव्यों में कुछ भिन्नता प्रतीत होती है। यह देखने के बाद, दो- न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि प्रवेश अनुसूची को वार्षिक घोषणा करने के बजाय हमेशा के लिए घोषित किया जाना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में निरंतरता और सहजता पर जोर दिया गया। यह भी कहा गया है कि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक निश्चित और अपरिवर्तित समय सारिणी होनी चाहिए ताकि छात्रों को निश्चित रूप से और अच्छी तरह से पहले से पता चल सके कि प्रवेश अनुसूची का पालन किया जाना है और जिसके आधार पर वे कॉलेज या पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं। न्यायालय ने उस अनुसूची का उल्लेख किया जो विद्या

सम्बन्धी वर्ष 2013- 2014 के लिए प्रवेश के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अंततः, न्यायालय ने एक उपयुक्त अनुसूची अनुसूची की जो इस प्रकार हैः

"इस प्रकार उपयुक्त अनुसूची इस प्रकार होगीः

आयोजन	अनुसूची
प्रवेश परीक्षा आयोजित करना (ए. आई. ई. ई. ई./राज्य सी. ई. टी./प्रबंधन कोटा परीक्षा, आदि)	मई के महीने में
योग्यता परीक्षा (12 वीं परीक्षा या इसी तरह की) और प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा	5 जून को या उससे पहले
1 सीटों के आवंटन के लिए परामर्श/प्रवेश का पहला दौर	30 जुलाई को या उससे पहले पूरा किया जाना
2 सीटों के आवंटन के लिए दूसरे दौर की परामर्श प्रक्रिया	10 जुलाई को या उससे पहले पूरा किया जाना
सीटों के आवंटन के लिए अंतिम दौर की परामर्श प्रक्रिया	20 जुलाई को या उससे पहले पूरा किया जाना
सीटों पर उम्मीदवारों को प्रवेश देने की अंतिम तिथि	30 जुलाई से ऊपर के आवंटन के अलावा हालाँकि, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर परामर्श के लिए कितने भी दौर आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन सभी दौर

	30 जुलाई से पहले पूरे हो जाएंगे।
शैक्षणिक सत्र की शुरुआत	1 अगस्त
किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अंतिम तिथि (किसी भी कोटा के तहत अंतिम तिथि के बाद किसी भी संस्थान में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए)	15 अगस्त
ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि	10 अप्रैल
विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि	15 मई का

अनुसूची तय करने के बाद, न्यायालय ने यह निर्णय देना उचित समझा किः

"42. प्रस्तावित विद्या सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधित वर्ष के 1 अगस्त से शुरू होना चाहिए। खाली पड़ी सीटों को फिर से विधिवत अधिसूचित और विज्ञापित किया जाना चाहिए। 15 अगस्त तक सभी सीटों को सकारात्मक रूप से भरा जाना चाहिए, जिसके बाद कोई प्रवेश नहीं होगा, चाहे कोई भी कारण या आधार हो।

43. हम पाते हैं कि उपरोक्त अनुसूची पूर्व में देखी गई संबद्धता/मान्यता अनुसूची के अनुरूप है। वे दोनों सह- अस्तित्व में रह सकते हैं। इस प्रकार, हम इन प्रवेश तिथियों को मंजूरी देते हैं और इसे कानून घोषित करते हैं जिसका सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन

किया जाएगा और किसी भी अधिकारी के पास प्रवेश की इन तिथियों को बदलने की शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इस क्षेत्र में निश्चितता प्रवेश देने और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शुरुआत के निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाध्य है। किसी भी बदलाव से शिक्षा के उच्च मानकों के रखरखाव और पाठ्यक्रमों के व्यवस्थित और उचित समापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।"

7. इस स्तर पर, यह निजी कॉलेजों के प्रबंधन संघ बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य में बाद के निर्णय का उल्लेख करता प्रतीत होता है। उक्त निर्णय में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने इस आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उच्च न्यायालय ने 1987 के अधिनियम की गलत व्याख्या की थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि विश्वविद्यालय को ए. आई. सी. टी. ई. से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके संबद्ध कॉलेजों को ऐसा करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया है कि उसमें अपीलकर्ता कॉलेजों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा एम. सी. ए. के अपने पाठ्यक्रम की पुष्टि करानी चाहिए, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार, भारतीदासन विश्वविद्यालय बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में बताए गए कानूनों की व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों का उल्लंघन था। दो- न्यायाधीशों की पीठ ने पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट (उपरोक्त), टी. एम. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, अधिनियम के शब्दकोश खंड में 'तकनीकी शिक्षा' और 'तकनीकी संस्थान' की परिभाषा और 2 (2013) 8 एस. सी. सी. 271 3 (2001) 8 एस. सी. सी. 676 4 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधानों, उक्त अधिनियम के

तहत बनाए गए विनियमों को संदर्भित किया और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

> "52.....ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम का इरादा विश्वविद्यालयों को उच्चतर या पर्यवेक्षण या नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण बनने का नहीं है और इस तरह वह केवल इस कारण से उक्त विश्वविद्यालयों पर खुद को अधिरोपित करता है कि वह तकनीकी शिक्षा या किसी भी विभाग या इकाई में तैयार किए गए कार्यक्रमों में कुछ शिक्षण मानकों को निर्धारित कर रहा है। यह स्पष्ट है कि ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम को लागू करते समय, संसद यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, विशेष रूप से उपरोक्त उपबंधों के अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से सचेत थी। इसलिए, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की खंड 2 (एच) में "तकनीकी संस्थान" की परिभाषा जो ए. आई. सी. टी. ई. को कुछ चीजें करने के लिए अधिकृत करती है, विश्वविद्यालय का विशिष्ट उल्लेख करने के लिए सचेत और जानबूझकर विशेष ध्यान रखा गया है, जहां भी और जब भी अकेले ए. आई. सी. टी. ई. से किसी विश्वविद्यालय और उसके विभागों के साथ- साथ घटक संस्थानों और इकाइयों के साथ बातचीत करने की उम्मीद की जाती थी। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10,11 और 12 के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालयों की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. को प्रदान किए गए निरीक्षण की भूमिका तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य तक सीमित है ताकि ऐसे विश्वविद्यालयों पर कोई और या प्रत्यक्ष नियंत्रण न हो या यू. जी. सी.

के ध्यान में लाने के अलावा किसी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई की गुंजाइश न हो। उस पृष्ठभूमि में, भारतीदासन विश्वविद्यालय मामले में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि उसने अधिनियम के दायरे की जांच की है कि क्या ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम यू. जी. सी. अधिनियम पर प्रबल है या सक्षम प्रविष्टियों का तथ्य प्रविष्टि 66 सूची । बनाम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 में आता है।

53. भारतीदासन विश्वविद्यालय मामले के उपरोक्त अनुच्छेदों के संचयी पठन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय ने विश्वविद्यालयों, इसके कॉलेजों, घटक संस्थानों और इकाइयों को ए. आई. सी. टी. ई. से पूर्व अनुमोदन लेने से छूट दी है। इसके अलावा, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ए. आई. सी. टी. ई. के पैराग्राफ 19 और 20 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालयों की तुलना में ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका केवल सलाहकार, अनुशंसा करने वाली और मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है और इसे स्वयं किसी भी प्रतिबंध को जारी करने या लागू करने का अधिकार नहीं है।"

8. उपरोक्त निर्णय दिए जाने के बाद, एक रिट याचिका सं. 895/2013 दायर की गई थी जिसे 24.3.2014 पर लिया गया था जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः

"शासन न करें।

रिट याचिका में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि यह उचित होगा यदि मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाए। आज से छह महीने के भीतर मामले को तदनुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

9. एसएलपी (सी) सं. 7277/2014 में, 17.4.2014 पर, निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

"प्रत्यर्थी संख्या 1, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र में कहा गया है कि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (2013- 14) वर्तमान में लागू है और इसे बढ़ाया गया है और विद्या सम्बन्धी वर्ष 2014- 15 के लिए भी लागू किया गया है।

ए. आई. सी. टी. ई. अब जहां तक याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों और याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों के समान स्थित सभी कॉलेजों और संस्थानों का संबंध है, विद्या सम्बन्धी वर्ष के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार आगे बढ़ेगा और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा दस दिनों के भीतर आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।

तदनुसार अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का आदेश दिया जाता है। "

10. एसएलपी (सी) सं. 7277/14 में, आइए सं. 2- 3/2014 दाखिल किया गया था। उक्त आवेदनों में, 09.05.2014 पर, चार- न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को स्पष्ट किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि किसी मौजूदा संबद्ध तकनीकी

महाविद्यालय और नए तकनीकी महाविद्यालय द्वारा एमबीए/प्रबंधन पाठ्यक्रम सहित तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की पूर्व मंजूरी अनिवार्य और अनिवार्य है, जिसके लिए विद्या सम्बन्धी वर्ष 2 के लिए अपने तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता की आवश्यकता होगी।

दिनांकित 17.4.2014 आदेश में दिया गया समय 10.6.2014 द्वारा बढ़ाया गया है।

2014 का आइए सं. 2 और 3 ऊपर बताए गए अनुसार निपटाया गया है"

11. इसके बाद, एसएलपी (सी) संख्या 7277/2014 में कई रिट याचिकाएं और आई. ए. संख्या 6 दायर की गईं। न्यायालय ने पार्श्वनाथ पूर्त न्यास (उपरोक्त) में अनुसूची का उल्लेख किया और ए. आई. सी. टी. ई. के रुख पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित ध्यान दें दिएः

"आवेदन में, ए. आई. सी. टी. ई. ने कहा है कि उसे देश में मौजूदा तकनीकी संस्थानों से 7280 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6751 आवेदन पहले ही संसाधित किए जा चुके हैं और शेष 529 आवेदन 4 जून, 2014 तक विचाराधीन हैं। चूँकि अभ्यास इस परिमाण का था, इसलिए सभी आवेदनों को संसाधित नहीं किया जा सका ताकि ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए इस न्यायालय के निर्देशों का व्यापक रूप से जवाब दिया जा सके। श्री एल. नागेश्वर राव, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, कहते हैं कि यदि समय एक सप्ताह के लिए बढ़ाया

जाता है, तो शेष सभी आवेदनों को भी ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा संसाधित किया जाएगा। रिट याचिकाओं में प्रार्थना काफी हद तक समान है क्योंकि ए. आई. सी. टी. ई. का रुख यह है कि हालांकि, उचित विचार के बाद, विद्या सम्बन्धी वर्ष 2014- 15 के लिए ई. ओ. ए. की सिफारिश की जाती है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के कारण, अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे की शिक्षा में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक योग्य छात्र/उम्मीदवार, विशेष रूप से जहां संसाधन और संस्थान उपलब्ध हैं, को तब तक समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि विद्या सम्बन्धी मानकों को कम नहीं किया जाता है।

हम संतुष्ट हैं कि यदि प्रत्यर्थी- ए. आई. सी. टी. ई. को सभी लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए सात और दिन दिए जाते हैं, तो इन प्रमुख हितों का समाधान किया जाएगा। इन परिस्थितियों में हम पिछले आदेशों को निम्नलिखित तरीके से संशोधित करते हैं।

ए. आई. सी. टी. ई. को अपने समक्ष लंबित सभी आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यह पहले उन आवेदनों पर विचार करेगा जिनमें उसने पहले ही अनुमोदन देने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इस न्यायालय के आदेशों के सम्मान में ऐसा नहीं किया है। इसके बाद, संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य प्राधिकरण/निकाय जिनके पास संबद्धता देने की शक्तियां हैं, वे एक सप्ताह के भीतर उस विषय पर निर्णय लेंगे। इन्हीं कारणों से सीटों के

आवंटन के लिए परामर्श/प्रवेश का पहला दौर, जिसे 30 जून, 2014 तक पूरा किया जाना था, अब 15 जुलाई, 2014 तक पूरा हो जाएगा। परामर्श का दूसरा दौर 22 जुलाई, 2014 तक पूरा हो जाएगा और परामर्श का अंतिम दौर 29 जुलाई, 2014 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्धारित शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ की तारीख को बाधित नहीं किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया में परिकल्पित विद्या सम्बन्धी वर्ष 2014- 2015 के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाले सभी कॉलेजों को मंजूरी दी जाएगी और वर्तमान विद्या सम्बन्धी वर्ष के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए विचार किया जाएगा। कुछ रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को आशंका है कि प्रतिवादी संलग्नक पी- 7 का पालन कर सकते हैं। हम समझते हैं कि इसमें निहित आदेशों को देखते हुए यह उचित नहीं होगा।"

12. उपरोक्त आदेश के बावजूद, ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से और साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित भारत संघ के विद्वान महान्यायवादी मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत अभी भी बनी हुई है। एसएलपी (सी) सं. 21901/2014 में, दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस मूल तथ्य की सराहना करते हुए कि संबंधित संस्थान को 2011 में मंजूरी दी गई थी और पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा था, निम्नानुसार निर्देश दियाः-

".....हम प्रतिवादी को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न कदमों का पालन करते हुए याचिकाकर्ता को आज से एक सप्ताह के भीतर

शैक्षणिक सत्र शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश देना उचित समझते हैं। परामर्श संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कल यानी 14.08.2014 तक एक अधिसूचना सकारात्मक रूप से जारी की जाएगी। जिन छात्रों को पहले ही अन्य संस्थानों में प्रवेश दिया जा चुका है, उनके पास याचिकाकर्ता- संस्थान में प्रवेश लेने का विकल्प नहीं होगा। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में परामर्श प्रक्रिया 19.08.2014 द्वारा पूरी की जाएगी, और सभी परिस्थितियों में 20.08.2014 द्वारा प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा।"

13. कारण की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने कहाः

"इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेशों में व्यक्त की गई अनुसूची को बढ़ाने का कारण इस तथ्य पर आधारित है कि विचाराधीन संस्थान यानी इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने 2013 में एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष अन्ना विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर हमला किया था। यह केवल इसलिए है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को 21.07.2014 (जब विवादित आदेश पारित किया गया था) तक बढ़ाया गया था कि समय सीमा पार कर दी गई है। दाखिले को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि अभी पार नहीं हुई है। सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, शैक्षणिक सत्र शुरू करने से इनकार करने से याचिकाकर्ता को व्यापक वित्तीय नुकसान होगा। इन विषम परिस्थितियों में ही तत्काल आदेश पारित किया गया है।" "पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तेलंगाना राज्य का गठन हाल ही में

2.6.2014 पर किया गया है और दोनों राज्यों यानी नवनिर्मित तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य को निर्धारित समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

हम प्रार्थना की अनुमति देते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य और सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार 31 अगस्त, 2014 तक इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य संस्थानों में परामर्श और प्रवेश पूरा कर लेंगे। समय का विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य और नवनिर्मित तेलंगाना राज्य पर लागू होगा, न कि अन्य राज्य पर।"

15. यह ध्यान दिया जाए कि पार्श्वनाथ पूर्त न्यास (उपरोक्त) मामले में आइए संख्या 50-56/2014 दायर की गई थी और न्यायालय ने पहले की तालिका और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा प्रस्तुत तालिका को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

"इससे पहले जब इस अदालत ने 19 अगस्त, 2014 को आई. ए. संख्या 50,51 और 52 में मामला उठाया था, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था "याचिकाकर्ता एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर कर सकते हैं जिसमें एक चार्ट संलग्न किया जा सकता है जिसमें वे (i) छात्रों की परामर्श प्राप्त करने, (ii) छात्रों को प्रवेश देने, (iii) पाठ्यक्रम शुरू करने, (iv) कानून के अनुसार भाग लेने के लिए कक्षाओं की संख्या (iv) जिस दिन पाठ्यक्रम मानदंडों के अनुसार पूरा किया जाएगा, (v) जिस महीने में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और (vi) परीक्षा अनुसूची शुरू करने की तारीख दिखा सकते हैं। इस मामले को 25 अगस्त, 2014 को पोस्ट करें।"

उपरोक्त आदेश यह जानने के लिए पारित किया गया था कि यदि प्रवेश के लिए परामर्श की अवधि बढ़ाई जाती है तो क्या छात्रों को नुकसान होगा और क्या याचिकाकर्ता समय अनुसूची के भीतर सत्रों को पूरा करने की स्थिति में होंगे। अतिरिक्त शपथ पत्र आवेदक आई. ए. नं. की ओर से दाखिल किया गया है। 50/2014 जिसमें मौजूदा विद्या सम्बन्धी कैलेंडर वर्ष 2014- 2015 का विवरण दिखाया गया है जो इस प्रकार हैः

उच्चतम न्यायालय के अनुसार शैक्षणिक सत्र की स्थिति	1 अगस्त (विश्वविद्यालय ने 19 अगस्त, 2014 को अपनी कक्षाएं शुरू कीं)	सप्ताह में 5 दिन माने जाने वाले दिनों की संख्या- अवकाश
कक्षाएं शुरू होने की वास्तविक तिथि	20 अगस्त की तारीख	71- 06 = 65 अध्यापन के दिन
शिक्षण का अंतिम भाग	29 नवंबर की तारीख	
प्रवेश पत्र जारी करना	1 एस. टी. डी. सी. (प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं)	
परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी	1 सेंट दिसंबर- 14 दिसंबर	14 दिन।
सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत	15 दिसंबर, 2014	
सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति	10 जनवरी, 2015 की तारीख	
दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत	15 जनवरी, 2015 की तारीख	

आवेदकों ने अब अपने कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश के लिए विद्या सम्बन्धी कैलेंडर का प्रस्ताव रखा है, जिसमें शिक्षण दिवसों की कमी नहीं है, शनिवार को शिक्षण दिवस के रूप में बनाया गया हैः

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत	1 सितंबर	सप्ताह में 6 दिन माने जाने वाले दिनों की संख्या- अवकाश *
अध्यापन का अंतिम दिन	29 नवंबर की तारीख	78- 6 = 72 अध्यापन के दिन
प्रवेश पत्र जारी करना	1 दिसंबर की तारीख (प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं)	
तैयारी, परीक्षा के लिए छुट्टी	1 सेंट दिसंबर- 14 दिसंबर	14 दिन।
सेमेस्टर परीक्षा की शुरुआत	15 दिसंबर, 2014	
सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति	10 जनवरी, 2015 की तारीख	
दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत	15 जनवरी, 2015 की तारीख	

अन्य आवेदकों और ए. आई. सी. टी. ई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित विद्या सम्बन्धी कैलेंडर वर्ष- अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और व्यवसाय संस्थान, सोनीपत और अन्य आई. ए. सं. 50/2014 की

अनुमति है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसे अन्य संस्थानों पर लागू करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने इसी तरह के आवेदन दायर किए हैं।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हम आवेदकों को सीए संख्या में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश देते हैं, सीए में पारित 13 दिसंबर, 2012 के अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा अनुसूची परामर्श और प्रवेश के लिए कट- ऑफ को एक सप्ताह यानी 5 सितंबर, 2014 तक स्पष्ट समझ के साथ बढ़ा दें कि वे छात्रों को प्रवेश देंगे और ऊपर दिखाए गए और दर्ज किए गए समय कार्यक्रम के अनुसार सत्र को पूरा करेंगे।

परामर्श और प्रवेश के लिए समय का यह विस्तार उन कॉलेजों/संस्थानों पर लागू होगा जिन्होंने वर्तमान अपील में पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन दायर किए हैं और जिन कॉलेजों और संस्थानों के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमति मांगी गई है।

16. हमने इस न्यायालय द्वारा क्रमिक तरीके से पारित आदेशों का उल्लेख केवल इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि विद्या सम्बन्धी वर्ष के लिए एआईसीटीई के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कुछ गुंजाइश थी, जब तक कि चार-न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांकित आदेश द्वारा स्पष्ट किया कि संबद्ध तकनीकी महाविद्यालय से बाहर निकलकर एमबीए/प्रबंधन पाठ्यक्रम सहित तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एआईसीटीई की पूर्व मंजूरी अनिवार्य और अनिवार्य है और इसमें तकनीकी महाविद्यालय भी शामिल है, जिसे विद्या सम्बन्धी वर्ष के लिए अपनी तकनीकी प्रक्रिया/कार्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता की आवश्यकता होगी। पार्श्वनाथ मामले में मूल रूप से अनुसूची अनुसूची को प्रत्येक मामले की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तारित किया गया था।

17. श्री रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले में विश्वविद्यालय ने 15.8.2014 के बाद परामर्श (पूरक परामर्श) का एक नया दौर प्रदान करने के लिए 28.8.2014 पर एक अधिसूचना जारी की थी, जो कट- ऑफ तिथि थी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में नोटिस जारी किया लेकिन अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। इंट्रा कोर्ट अपील में खण्ड पीठ ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा विश्वविद्यालय को गैर- ए. आई. सी. टी. ई. पाठ्यक्रमों/गैर एन. सी. टी. ई. पाठ्यक्रमों के लिए पूरक परामर्श के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी और समय बढ़ाने के लिए इस अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी। उपरोक्त आदेश को स्वीकार करते हुए 2014 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 24442 दायर की गई थी और इस अदालत ने 8.9.2014 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

> "नोटिस जारी करें।
>
> प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री आशा जैन मदन, चेतावनी पर उपस्थित हुई हैं और नोटिस स्वीकार करती हैं।
>
> प्रवेश के उद्देश्यों के लिए इस याचिका की सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय ने 28.08.2014 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की है, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पहले है। श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत उक्त अधिसूचना, इस न्यायालय द्वारा ए. आई. सी. टी. ई. और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों जैसे एन. सी. टी. ई. आदि के लिए अनुसूची अनुसूची को प्रभावित करने की संभावना है। बार से यह भी आग्रह किया जाता है कि इस अधिसूचना के तैयार होने के कारण, जिन छात्रों को किसी विशेष पाठ्यक्रम में

प्रवेश दिया गया है, उन्हें हटाया जा सकता है या अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अपना विकल्प आजमाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक संस्थानों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। श्री मनिंदर सिंह, विद्वान ए. एस. जी., 28.08.2014 पर जारी अधिसूचना के प्रभाव और प्रभाव की व्याख्या करेंगे।

एक विज्ञापन अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एल. पी. ए. संख्या 576/2014 में पारित दिनांकित 3.09.2014 के आदेश और यहाँ ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना के संचालन पर रोक होगी।

12.09.2014 पर सूची बनाएँ।"

18. इसके बाद जब मामले को सूचीबद्ध किया गया, तो विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने एक बयान दिया कि अधिसूचना दिनांक 28.8.2014 जो उच्च न्यायालय में रिट याचिका का विषय था, उसे वापस ले लिया गया। उक्त निवेदन ध्यान दें में रखते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

"श्री मनिंदर सिंह ने विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में सुना। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने 28 अगस्त, 2014 की अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका ® सं॰ 5696/2014 का निपटारा किया गया माना जाता है।"

19. इसके बाद अनुसूची बढ़ाने के लिए मूल रूप से रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह को दायर किया गया है जो तार्किक रूप से परामर्श के एक और दौर के संचालन को जन्म देगा। रिट याचिका में यह तर्क दिया गया है कि छह हजार से अधिक सीटें खाली हैं और हजारों छात्र हैं जो सीईटी में योग्य हैं और उक्त सीटों को नहीं भरने का कोई औचित्य नहीं है। यह माना जाता है कि स्व- वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों की कोई गलती नहीं होने के कारण भारी वित्तीय नुकसान होने की संभावना है और जिन छात्रों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेधावी हैं, उन्हें एक वर्ष का नुकसान होगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल थेः-

"(क) बी टेक/एमटेक (दोहरी डिग्री)/बी. टेक सीईटी कोड 31;

(ख) बीबीए, सीईटी कोड 125

(ग) बी. सी. ए. सी. ई. टी. कोड 114

(घ) बी. कॉम., सी. ई. टी. कोड 146

(ई) बी. एड सी. ई. टी. कोड 122

(च) बीजेएमसी, सीईटी कोड 126

(छ) बीए, एलएलबी/बीबीए, एलएलबी. सीईटी कोड 121

(ज) एमबीए, सीईटी कोड 191

(i) एमसीए, सीईटी कोड 105

(जे) एल. ई. से बी टेक सीईटी कोड 128 और 129 "

20. यह विवादित नहीं है कि (ए), (एच), (आई) और (जे) के तहत आने वाले पाठ्यक्रम ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों के अंतर्गत आते हैं। बी. एड. सी. ई. टी. कोड 122 एन. सी. टी. ई. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत आता

है। (बी), (सी), (डी), (एफ) और (जी) के तहत आने वाले पाठ्यक्रम सीधे विश्वविद्यालय के कानूनों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान मामले में हम एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 के तहत मामलों से संबंधित विवाद पर विचार नहीं कर रहे हैं।

21. सबसे पहले, हम उन पाठ्यक्रमों पर ध्यान देंगे जो 1987 के अधिनियम और 1994 के विनियमों द्वारा विनियमित हैं। याचिकाकर्ताओं, अर्थात् संस्थानों और छात्रों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक परामर्श का संबंध है, एआईसीटीई ने अनुसूची का पालन नहीं किया और विश्वविद्यालय ने अनुसूची के साथ खिलवाड़ किया और उन छात्रों को पूरक परामर्श में भाग लेने की अनुमति देकर अराजकता पैदा की, जिन्होंने पहले ही कुछ संस्थानों में प्रवेश ले लिया था, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी विवरण पत्रिका के सामने अस्वीकार्य है। श्री रोहतगी, विद्वान महान्यायवादी करेंगे कि ए. आई. सी. टी. ई., निजी महाविद्यालय संघ प्रबंधन मामले में निर्णय की घोषणा के बाद अपने अधिकार क्षेत्र/अधिकार के बारे में तब तक अनिश्चित था जब तक कि उसे शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, हालांकि उड़ीसा तकनीकी महाविद्यालय संघ के मामले में आई. डी. 1 पर एक अंतरिम आदेश द्वारा, और उस अनिश्चितता के कारण देरी हुई। हमें सूचित किया गया है कि मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है और ए. आई. सी. टी. ई. केवल अंतरिम आदेश के आधार पर आगे बढ़ा है। जहां तक पहले से ही प्रवेश ले चुके छात्रों सहित सभी उम्मीदवारों तक पहुंच रखने वाले दस पाठ्यक्रमों के संबंध में अधिसूचना जारी करने का सवाल है, विद्वान महान्यायवादी कि इस तरह का समावेश विवरण पत्रिका के विपरीत था और कई अंकों में गलत भी था।

22. यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि हम इस बात की सराहना करते हैं कि विद्या सम्बन्धी वर्ष 2014- 15 के लिए कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ थीं। पहला, ए. आई. सी. टी. ई. के अधिकार पर एक प्रश्न चिह्न लगाया गया था, (ii) दूसरा, आंध्र

प्रदेश राज्यों को दो राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में विभाजित किया गया था, और (iii) तीसरा, छात्रों के योग्य होने और पाठ्यक्रम लेने के इच्छुक होने के बावजूद सीटों की संख्या खाली रही थी।

23. हमारी सुविचारित राय में, ये महत्वपूर्ण विशेष विशेषताएं हैं जो विद्या सम्बन्धी वर्ष 2014 में हुई हैं - 15. तथ्य स्थिति को देखने के दो तरीके हैं। इसे एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ देखा जा सकता है या इसकी सराहना की जा सकती है, क्योंकि इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विद्वान महान्यायवादी द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि यदि ऑनलाइन परामर्श के लिए समय दिया जाता है तो यह 20 अक्टूबर, 2014 से शुरू हो सकता है और दो दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। उन्होंने 11 अक्टूबर, 2014 को कुलपति द्वारा जारी एक पत्र को पुनः प्रस्तुत किया है कि विश्वविद्यालय पूरक परामर्श कैसे करेगा। हम सोचते हैं कि इसे पुनः प्रस्तुत करना उचित हैः-

> "विश्वविद्यालय योग्य सी. ई. टी. योग्य उम्मीदवारों से शेष खाली सीटों के लिए प्रवेश के लिए पूरक परामर्श करने के लिए सहमत होगा। विश्वविद्यालय ने आगे निर्णय लिया है कि केवल उन योग्य सी. ई. टी. योग्य छात्रों से खाली सीटों को उनकी योग्यता के अनुसार भरा जाएगा, जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है। विश्वविद्यालय इस बात पर भी सहमत है कि किसी भी कॉलेज/संस्थान में पहले से ही पाठ्यक्रमों में भर्ती किसी भी छात्र के लिए आगे कोई विस्थापन नहीं किया जाएगा।"

24. इस मुद्दे को तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने में व्यापक सार्वजनिक हित के पैमाने पर रखते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई राहत

और प्रस्तावित प्रशंसनीय समाधान को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायाधीश के उद्देश्य को कम करेगा। इन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय, जैसा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, गति बनाए रख सकता है। जो छात्र हमारे आदेश के अधीन प्रवेश लेंगे, उन्हें आवंटित कॉलेजों में एक खंड में रखा जाए ताकि वे एक अतिरिक्त घंटे के लिए कक्षाओं में भाग ले सकें। इसके अलावा विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार उनकी छुट्टियों में कटौती की जाएगी। उक्त प्रभाव के लिए छात्रों से एक वचन लिया जा सकता है। प्रत्येक छात्र की कक्षाओं की मूल संख्या की अपेक्षित 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। यदि उपस्थिति की कोई कमी होगी तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा।

25. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय अधिक सावधान, सतर्क और चौकस होते तो राष्ट्रीय अपशिष्ट को आमंत्रित करने वाली ऐसी दर्दनाक स्थिति से बचा जा सकता था। हालाँकि, पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए, हमने उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं। यह व्यापक जनहित में है। इस मोड़ पर हम एक प्राचीन कहावत को सार्थक रूप से दोहरा सकते हैं:

"यदापी सिद्धम, लोक विरुधम ना अदरानियम, ना कर नियम"

26. चूंकि वर्तमान तथ्य स्थिति व्यापक सार्वजनिक हित को दर्शाती है और अंततः न्यायाधीश के उद्देश्य को कम करती है, इसलिए हम ऑनलाइन परामर्श के लिए समय 20 अक्टूबर, 2014 तक बढ़ाते हैं।

27. इस मोड़ पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री पी. पी. राव और श्री सुंदरम ने हमें अवगत कराया है कि समस्या हर साल होती है, क्योंकि परामर्श के लिए दिन तय होने के बावजूद, पर्याप्त संख्या में छात्रों को परामर्श के लिए नहीं बुलाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, सीईटी उत्तीर्ण करने वाले

कई छात्रों को परामर्श लेने का अवसर नहीं मिलता है और अंततः प्रवेश नहीं होता है। हम आत्यन्तिक रूप से सचेत हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र में है। लेकिन जब समस्या बार- बार होती है तो हम विश्वविद्यालय को निर्देश देते हैं कि वह अनुसूची के भीतर इस तरह से परामर्श आयोजित करे ताकि यदि इस तरह की परामर्श के लिए योग्य उम्मीदवार हैं तो सभी सीटें भर दी जाएं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय हित के लिए विदेशी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि एक ओर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा और दूसरी ओर ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय द्वारा और कुछ अवसरों पर ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय के बीच दोषारोपण का खेल चल रहा है। ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इस तरह की गुहा और संकीर्णता से देश की शैक्षिक संस्कृति में एक अवतलता पैदा होने की संभावना है। इसलिए, सभी संबंधितों को यह याद रखना चाहिए कि शिक्षा एक सभ्य व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वाग्रहों का वध करने के तरीके को परिभाषित करती है। उचित रूप से दी जाने वाली कोई भी शिक्षा सीखने के लिए एक निरंतर प्रलोभन है। यह अकल्पनीय है कि शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रित करने के प्रभारी अधिकारी अपने काल्पनिक कार्यों को उचित ठहराते हुए गलती करने वाले शूरवीरों की तरह व्यवहार करें। कानून सभी अधिकारियों से एक तर्कसंगत धारणा, तार्किक दृष्टिकोण और एक अध्ययन और सुविचारित निर्णय की अपेक्षा करता है। यह बताना अनिवार्य है कि इस तरह की तीखी और दर्दनाक स्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय द्वारा एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, यह एक स्वस्थ स्थिति का संकेत नहीं देता है। यदि ए. आई. सी. टी. ई. ने प्रक्रिया के संबंध में समय सीमा के भीतर काम किया होता तो मामला ऐसी स्थिति को जन्म नहीं देता। इसी तरह, यदि विश्वविद्यालय अनुमोदित संस्थानों में उपलब्ध सीटों की संख्या और सामान्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में

रखते हुए अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ परामर्श आयोजित करता, तो संभवतः समस्या की गंभीरता कम होती।

28. सुशासन की स्थिति में, एक समस्या पर ध्यान दें जाता है ताकि किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उचित और समय पर कदम उठाए जा सकें। अनुमोदन देने, पाठ्यक्रम तैयार करने, शिक्षा प्रदान करने और ऐसी अन्य गतिविधियों को चलाने के प्रभारी अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना आवश्यक है। चिन्ता की कमी केवल विनाश की शुरुआत का संकेत है। ऐसा होने नहीं दिया जा सकता। इसलिए, हम ए. आई. सी. टी. ई. और विश्वविद्यालय को यह देखने के लिए आगाह करते हैं कि चीजें अनुसूची अनुसूची का पालन करते हुए समय पर की जाती हैं। हम दोहराने की कीमत पर यह समझते हैं कि हमने इस साल की स्थिति के कारण समय बढ़ाया है, लेकिन अगर उचित प्रयास किए जाते हैं, तो हम निश्चित हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करते हैं कि पार्श्वनाथ पूर्त न्यास मामले में मूल रूप से अनुसूची- सारणी को आने वाले सभी वर्षों के लिए अनुसूची के रूप में माना जाना चाहिए। कोई भी संशोधन जो किया गया है, जैसा कि विभिन्न आदेशों से प्रकट होता है, जिन्हें हमने पहले पुनः प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्तमान निर्णय भी शामिल है, प्रत्येक मामले की विशेष विशेषताओं में शैक्षणिक सत्र के लिए पारित किया गया है। यह कहा जा सकता है कि अप्रिय मुकदमेबाजी से बचना कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में एक प्रगतिशील कदम है।

29. संक्षेप में

(क) ऑनलाइन परामर्श के लिए समय 21 अक्टूबर, 2014 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) जिन छात्रों ने पहले ही कॉलेजों में प्रवेश ले लिया है, उन्हें पूरक परामर्श में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो छात्र परामर्श के बिना किसी भी संस्थान में कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया माना जाएगा और इसलिए वे ऑनलाइन परामर्श में भाग लेने के पात्र होंगे।

(ग) जिन छात्रों को प्रवेश के लिए चुना जाता है और योग्यता के आधार पर संबंधित कॉलेजों में आवंटित किया जाता है, वे तुरंत प्रवेश लेंगे।

(घ) किसी विशेष महाविद्यालय में आबंटित किए जाने के बाद छात्रों को एक अलग खंड में रखा जाएगा क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कार्यशील कक्षाओं में भाग लेना आवश्यक होगा। शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों के लिए पर्याप्त साधन और सुविधा प्रदान करके, यदि आवश्यक हो, तो शिक्षकों की सहायता और सहायता से शिक्षा प्रदान करनी होगी।

(ङ) विश्वविद्यालय यह देखने के लिए एक दल का गठन करेगा कि कक्षाएं आयोजित की जाती हैं या नहीं।

(च) जब तक किसी छात्र को आयोजित गणना के आधार पर 75 प्रतिशत की अपेक्षित उपस्थिति नहीं मिलती है, पूरे शिक्षण दिनों को ध्यान में रखते हुए, उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) पार्श्वनाथ पूर्त न्यास (उपरोक्त) में मूल रूप से अनुसूची अनुसूची लागू रहेगी और बाद के वर्षों में इसका धार्मिक रूप से पालन किया जाएगा।

(ज) परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।